बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं०सं०–01 / स्था०(मु0अ0)–04 / 2024–   न०वि०एवंआ०वि० / पटना दिनांक–

नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय प्रस्ताव के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3(3)(क) के तहत मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की दिनांक–29.01.2025 को आयोजित बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–1755 दिनांक–29.01.2025 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता (असैनिक) को संविदा के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन नियोजित किया जाता है:–

मुख्य अभियंता (असैनिक)

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि / सेवानिवृत्ति तिथि	पैतृक विभाग
1	श्री शंकर दयाल शुक्ला, पटना	30.06.1964 30.06.2024	ग्रामीण कार्य विभाग
2	श्री विनोद कुमार, सिवान	22.12.1963 31.12.2023	पथ निर्माण विभाग
3	श्री अश्विनी कुमार, पटना	16.10.1963 31.10.2023	जल संसाधन विभाग

अधीक्षण अभियंता (असैनिक)

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि / सेवानिवृत्ति तिथि	पैतृक विभाग
1	श्री सुरेन्द्र कुमार मेहता, समस्तीपुर	13.07.1964 31.07.2024	पथ निर्माण विभाग
2	श्री हरेन्द्र कुमार उपाध्याय, पटना	01.06.1964 31.05.2024	ग्रामीण कार्य विभाग
3	मो0 अबुल फैज, पटना	01.04.1964 31.03.2024	जल संसाधन विभाग
4	श्री किशोरी प्रसाद, पटना	06.02.1964 29.02.2024	जल संसाधन विभाग
5	श्री बिन्दू रजक, पटना	26.01.1964 31.01.2024	ग्रामीण कार्य विभाग
6	श्री नलिन विलोचन, पटना	13.10.1963 31.10.2023	पथ निर्माण विभाग

7	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, पटना / रोहतास	26.10.1962 31.10.2022	पथ निर्माण विभाग
8	श्री राम सागर प्रसाद, पटना	02.05.1962 31.05.2022	भवन निर्माण विभाग

कार्यपालक अभियंता (असैनिक)

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि / सेवानिवृत्ति तिथि	पैतृक विभाग
1	श्री सुबोध कुमार, पटना	20.01.1962 31.01.2022	जल संसाधन विभाग
2	श्री रामाशीष प्रसाद, मधुबनी	24.06.1963 30.06.2023	ग्रामीण कार्य विभाग
3	श्री राजेश कुमार झा, पटना	10.02.1963 28.02.2023	जल संसाधन विभाग
4	श्री अशोक कुमार सिन्हा, पटना	02.01.1963 31.01.2023	जल संसाधन विभाग
5	श्री बिन्दु भूषण, पटना	27.10.1962 31.10.2022	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
6	श्री रामदेव चौधरी, अरवल	24.09.1962 30.09.2022	ग्रामीण कार्य विभाग
7	श्री रामस्वरूप प्रसाद, नवादा	02.01.1964 31.01.2024	ग्रामीण कार्य विभाग
8	श्री शिव शंकर प्रसाद गुप्ता, पटना	02.01.1964 31.01.2024	ग्रामीण कार्य विभाग
9	श्री मुकुन्द प्रसाद, पूर्वी चम्पारण	05.01.1964 31.01.2024	जल संसाधन विभाग
10	श्री सत्येन्द्र प्रसाद राय, सारण	15.11.1963 30.11.2023	जल संसाधन विभाग
11	श्री ख्वाजा जमाल नासिर, पटना	02.08.1963 31.08.2023	जल संसाधन विभाग
12	श्री अर्जुन प्रसाद सिन्हा, नालंदा	05.07.1963 31.07.2023	ग्रामीण कार्य विभाग
13	श्री भोला नाथ यागनिक, पटना आई0डी0 3902	23.10.1962 31.10.2022	जल संसाधन विभाग
14	श्री अनील कुमार , पटना आई0डी0 4696	10.08.1962 31.08.2022	जल संसाधन विभाग
15	श्रीनिवास प्रसाद, पटना आई0डी0–4004	01.08.1962 31.07.2022	जल संसाधन विभाग
16	श्री अशोक सिंह, पटना	01.07.1963 30.06.2023	ग्रामीण कार्य विभाग
17	श्री कालिका प्रसाद, पटना	01.01.1962 31.12.2021	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
18	श्री अरविन्द कुमार सिंह, पटना आई0डी0 3687	12.02.1963 28.02.2023	जल संसाधन विभाग

2. उपरोक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता (असैनिक) का नियोजन प्रथमतः दो वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने (दोनों में जो पहले हो) तक के लिए किया जाता है। संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक के लिए एक–एक वर्ष की सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में 67 वर्ष तक सेवावधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

3. उपरोक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता (असैनिक) द्वारा किए जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी तथा कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

4. संविदा नियोजन हेतु अनुशंसित सेवानिवृत्त उपरोक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता (असैनिक) का मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद पर औपबंधिक रूप से नियोजन किया जा रहा है। औपबंधिक रूप से संविदा आधारित नियोजित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के संबंध में उनके संवर्ग नियंत्री विभाग/कार्यालय से उनके विरूद्ध आरोप /विभागीय बकाया/गोपनीय चारित्री/सेवानिवृत्त कर्मियों के विरूद्ध सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षों में कोई वृहद दण्ड अथवा अंतिम 05 वर्षों में कोई दण्ड (लघु/वृहत) अथवा बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधानों के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड अधिरोपित होने का मामला यदि संज्ञान में आता है, तो वैसे परिस्थितियों में तत्काल प्रभाव से उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

5. संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता (असैनिक) को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक –10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका–7 में निहित प्रावधान के अनुसार मासिक मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

6. जिन मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता (असैनिक) का पेंशन स्वीकृति/पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गमन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, उनके संबंध में महालेखाकार, बिहार, पटना के स्तर से पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत होने के उपरांत ही सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधान के अनुसार मासिक मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

7. संविदा नियोजन आदेश के आलोक में संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा पद पर योगदान करने की तिथि से संविदा नियोजन/संविदा अवधि–विस्तार प्रभावी होगा।

8. संविदा पर नियोजित उपरोक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता (असैनिक) को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

9. संविदा पर नियोजित उपरोक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता (असैनिक) को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–

(रंजन कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 01/स्था०(मु0अ0)--04/2024-- **2138** .न०वि०एवंआ०वि०/पटना दिनांक-- **25.02.2025**

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/मुख्य अभियंता, बुडको/संबंधित अधीक्षण अभियंता (असैनिक)/संबंधित कार्यपालक अभियंता (असैनिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/श्री पंकज कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/25

सरकार के अवर सचिव।

D:\Mrityunjay Sir Notting\C.E. S.E. E.E & A.E Transfer related\Notification.docx